प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक अपव्यय

परिवीक्षकों के लिये
परिचायिका

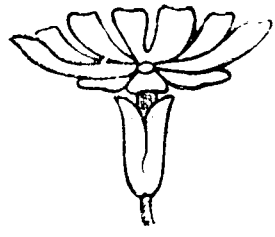

-544
371.146
RAW-P

राजस्थान राज्य शिक्षा संस्थान, उदयपुर

प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक अपव्यय

परिवीक्षकों के लिये

परिचायिका

मूल लेखक

डी० एस० रावत

बी० आर० गोयल

अनुवादक :

पुरुषोत्तमलाल तिवारी

राधामोहन पुरोहित

गोवर्द्धन के० जोशी

NIEPA DC

D00763

राजस्थान राज्य शिक्षा संस्थान, उदयपुर द्वारा अनूदित

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान व प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली की पुस्तक

'Educational Wastage at the Primary level'

- 544
371.46
RAW-P

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D 763
Date 27/5/83

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ
1.	प्राक्कथन	
2.	आमुख	
3.	विषय प्रवेश	1
4.	अध्याय 1	3
	शैक्षिक अपव्यय के कारण	
5.	अध्याय 2	10
	परिवीक्षकों के लिए क्रियात्मक कार्यक्रम	
6.	परिशिष्ट	
	प्रपत्र क	24
	प्रारूप (1)	26
	प्रारूप (2)	28
	प्रारूप (3)	30
7.	पुस्तक सूची	32

प्राक्कथन

राजस्थान राज्य में प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक अपव्यय एवं अवरोधन शिक्षा–क्षेत्र से सम्बन्धित अन्य समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या है। इसके निराकरण के लिए प्राथमिक शालाओं में परिवीक्षकों तथा अध्यापकों द्वारा पहल किया जाना विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली ने अध्यापकों तथा परिवीक्षकों के मार्ग दर्शनार्थ दो पुस्तिकाएँ प्रकाशित की हैं। दोनों पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। शिक्षकों की सुविधा के लिए राजस्थान राज्य शिक्षा संस्थान, उदयपुर ने एक पुस्तिका का अनुवाद करके गत सत्र में प्रकाशित किया है।

राज्य के परिवीक्षकों की सुविधा हेतु 'परिवीक्षक परिचायिका' का यह हिन्दी रूपान्तर संस्थान द्वारा प्रसारित किया जाकर यह आशा की जाती है कि परिवीक्षकगण इसका गहन अध्ययन करेंगे तथा राज्य में प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक अपव्यय एवम् अवरोधन के कारणों को ढूंढ़ निकालने में समर्थ होंगे। इसके साथ ही वे व्यावहारिक प्रायोजनाओं के द्वारा अपने क्षेत्र में होने वाले शैक्षिक अपव्यय को कम करने की दिशा में विशेष प्रयत्न करेंगे।

राजस्थान राज्य शिक्षा संस्थान, उदयपुर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के प्रति अपना आभार प्रकट करता है। इसके साथ ही संस्थान श्री पुरुषोत्तम लाल तिवारी, श्री रामामोहन पुरोहित तथा श्री गोवर्द्धन के० जोशी के प्रयत्नों की सराहना करता है जिन्होंने अल्प समय में इस पुस्तिका का अनुवाद करने का श्रम किया है।

फरवरी, 1973

(श्रीमती) ओ० जोशी
निदेशक,
राजस्थान राज्य शिक्षा संस्थान,
उदयपुर।

आ मु ख

विगत कुछ दशकों से शैक्षिक अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या शिक्षाधिकारियों एवं राष्ट्रनेताओं के ध्यान को आकृष्ट करती रही है। शैक्षिक अपव्यय एवं अवरोधन को कम करने के कारणों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 1968 तथा 1970 में कार्यगोष्ठियों का आयोजन किया गया था। इसमें यह यह बात सर्वसम्मत रूप से मानी गई थी कि अध्यापक के सक्रिय सहयोग के बल पर ही इस ज्वलन्त समस्या का प्रभावी हल ढूँढ़ा जा सकता है।

ऐसा अनुभव किया गया कि अनेक अध्यापक इस समस्या के विविध पक्षों से परिचित नहीं हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली ने अध्यापकों को समस्या की पूर्ण जाबकारी देने के उद्देश्य से एक मार्गदर्शिका तैयार की है। इसमें समस्या के कारणों तथा शैक्षिक अपव्यय को कम करने के लिए आयोजनीय विविध क्रियात्मक कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से विचार किया गया है। यह पुस्तिका बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। अनेक राज्य सरकारों ने इसका क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करवाया है। कुछ शालाओं में यह काम एक विशेष प्रयोजन के रूप में प्रारम्भ किया गया है।

राज्य की ओर से परिवीक्षण अधिकारियों के मार्गदर्शनार्थ एक ऐसी पुस्तिका की मांग की गई है, जिसमें परिवीक्षकों के दायित्वों तथा कार्यप्रणाली का विस्तृत विवेचन किया गया हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह पुस्तिका तैयार की गई है। राज्यों के शिक्षाधिकारी इस पुस्तिका का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करवा सकते हैं।

प्रस्तुत पुस्तिका के परिवर्द्धन तथा संशोधन आदि के लिए प्राप्त सुझावों का स्वागत किया जायेगा।

यह आशा की जाती है कि यह पुस्तिका परिवीक्षण अधिकारियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

अप्रेल, 1971 —लेखकगण

विषय प्रवेश

यह तथ्य सर्वविदित है कि संविधान के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बालकों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की सुविधा देने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शालाओं की संख्या में की गई वृद्धि के फलस्वरूप शिक्षा के गुणात्मक विकास में बाधा ही पहुँची है। शिक्षा का जीवन से सम्बन्ध नहीं रहा है; अत: कई अभिभावक शिक्षा का वास्तविक मूल्य समझ पाने में असमर्थ रहे हैं। आज शाला में हो रहे शिक्षण को सार्थक, उपयोगी तथा आकर्षक नहीं बनाया जा सकता हैं। इसी कारण से प्राथमिक शालाएं बालकों के लिए आकर्षण का केन्द्र नहीं बन पाई हैं।

उक्त कारणों तथा कुछ अन्य परिस्थितियों के कारण हमारी प्राथमिक शालाओं में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई हैं। हम सब यह देख रहे हैं कि कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले प्रति 100 विद्यार्थियों में से 60 विद्यार्थी कक्षा 5 तक का अध्ययन पूर्ण करने के पूर्व ही तथा 70 से 74 प्रतिशत तक कक्षा 8 तक का अध्ययन पूर्ण करने के पूर्व शाला छोड़ देते हैं। इससे धन तथा मानवीय शक्ति का अपव्यय तो हो ही रहा है, साथ ही हम 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं, जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार हैं तथा स्वतन्त्र समाज के उपयोगी नागरिक बनने के लिए नितान्त आवश्यक शर्त है।

यह तथ्य 1928 में सामने आया था। शैक्षिक अपव्यय के विभिन्न कारणों का पता लगाने के लिए शिक्षाविदों तथा अनुसन्धाताओं ने अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ कर दिया तथा शाला छोड़ कर जाने वाले बालक बालिकाओं की विभिन्न श्रेणियों को निश्चित किया।

मुख्य रूप से तीन प्रकार की श्रेणियां निर्धारित की गईं :

1. वे बालक / बालिका जो कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं किन्तु कक्षा 5 तक का अध्ययन पूर्ण करने के पूर्व ही अभिभावक द्वारा शाला से छुड़वा लिए जाते हैं।
2. वे बालक/बालिकाएँ जो कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं किन्तु एक ही कक्षा में बार-बार अनुत्तीर्ण होने के कारण शाला छोंड़ देते हैं।
3. वे बालक/बालिकाएँ जो कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं किन्तु कक्षाओं को उत्तीर्ण करने में एक से अधिक वर्ष लगने के कारण शाला में अधिक वर्षों तक रुकते हैं।

यद्यपि उक्त तीनों प्रकार की स्थितियों के कारण धन तथा मानवीय शक्ति के रूप में शैक्षिक अपव्यय हो रहा है तथापि प्रथम दो प्रकार की स्थितियों के बारे में गहराई से विचार करना हम अध्यापकों, परिवीक्षकों, शिक्षाविदों तथा अभिभावकों के लिए नितान्त आवश्यक

है । यह केवल शैक्षिक अपव्यय का ही प्रश्न नहीं है अपितु हम समाज को भावी नागरिकों को ठीक तरह का जीवनयापन करने के लिए न्यूनतम शिक्षा की सुविधा भी नहीं दे पा रहे हैं ।

सुविधा की दृष्टि से शिक्षाविदों ने प्रथम प्रकार की स्थिति के बालकों के लिए (Drop out) 'छोड़कर जाने वाले' शब्द का प्रयोग किया है तथा द्वितीय एवं तृतीय प्रकार की स्थिति वाले बालकों के लिए अवरोधन शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है एक कक्षा को एक ही वर्ष में उत्तीर्ण न करके अधिक वर्षों में उत्तीर्ण करना ।

एक संस्था की शैक्षिक योजना में हम अपव्यय एवं अवरोधन का प्रतिशत अलग-अलग प्राप्त कर सकते हैं । वर्ष के मध्य में ही शाला छोड़कर चले जाने वाले तथा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या के आधार पर एक शाला के शैक्षिक अपव्यय का पता लगाया जा सकता है । इसके बारे में विस्तृत जानकारी तृतीय अध्याय में दी गई है ।

शैक्षिक अपव्यय के प्रतिशत को ज्ञात करने की विधि को समझने तथा शैक्षिक अपव्यय को कम करने के लिए आयोजनीय विविध क्रियात्मक कार्यक्रमों के बारे में जानने के पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हम शैक्षिक अपव्यय के विविध कारणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें ।

अध्याय 1

शैक्षिक अपव्यय के कारण

प्रारम्भ में यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक अपव्यय के कारण व्यक्ति-व्यक्ति, शाला-शाला तथा स्थान-स्थान के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक गांव में अभिभावक अपने बालक को घर के काम-काज तथा खेती आदि के लिए विशेष उपयोगी समझकर शाला से छुड़वा लेते हैं। ऐसा करने के पीछे आर्थिक कारण ही मुख्य रूप से रहता है। कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां बालक पुस्तकों तथा वेशभूषा के अभाव के कारण शाला छोड़ देते हैं। कहीं-कहीं पर यह भी देखा गया है कि अभिभावक अपने बालकों को प्राथमिक शालाओं की तुलना में धार्मिक स्थानों पर पढ़वाना अधिक अच्छा मानते हैं। उनकी यह मान्यता रहती है कि बालक धार्मिक स्थानों पर सुशिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसा लगता है कि प्राथमिक शाला के प्रभाव तथा आकर्षण में कमी के कारण ही शैक्षिक अपव्यय हो रहा है।

यहाँ उन विभिन्न अध्ययनों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है जो सम्पूर्ण देश में इसी समस्या के कारणों को ज्ञात करने के लिए किए गए हैं। कुछ प्रमुख अध्ययनों के आधार पर शैक्षिक अपव्यय के कुछ प्रमुख कारणों को गिना जा सकता है।

अनुसन्धाताओं ने कारणों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। श्री जे. पी. नायक[1] ने कारणों को आधार मानकर 10,000 बालकों का अध्ययन किया। ये कारण आर्थिक सामाजिक तथा शैक्षिक श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं। आर्थिक कारण का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि 65 प्रतिशत छात्र प्राथमिक कक्षाओं का अध्ययन पूर्ण करने के पूर्व शाला छोड़ देते हैं। 9 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद वे घर या खेती के काम में हाथ बंटाने लग जाते हैं और इस तरह वे परिवार की आय में वृद्धि करते हैं।

लड़कियों के शैक्षिक अपव्यय का कारण मुख्य रूप से सामाजिक ही है। विवाह, सगाई, बड़ी उम्र वाली बालिकाओं को सहशिक्षा वाली शालाओं में नहीं भेजना तथा शालाओं में अध्यापिकाओं के अभाव के कारण बालिकाएँ पढ़ना छोड़ देती हैं।

1. नायक जे० पी० —प्राथमिक कक्षाओं में अपव्यय एवं अवरोधन का प्रतिवेदन— प्रान्तीय प्राथमिक शिक्षा बोर्ड बम्बई 1941

शैक्षिक कारणों का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ है कि 30 प्रतिशत अपव्यय के कारण निम्नलिखित हैं :—

(अ) अनेक शालाएँ अधूरी हैं जहां सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है।

(ब) एक ही कक्षा में बार-बार अनुत्तीर्ण होने के कारण छात्र शाला छोड़ देते हैं।

(स) शालाओं के वातावरण में निर्जीवता होने तथा आकर्षण के अभाव के कारण भी बालक पढ़ने नहीं आते हैं।

(द) शालाओं में पोषाहार तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमों का अभाव होने के कारण भी शैक्षिक अपव्यय हो रहा है।

(य) सामान्य अभिभावक बालक को शाला भेजने के लाभ को नहीं समझ पाये हैं।

श्री डी० वी० चिकरमने[1] के द्वारा शैक्षिक अपव्यय पर किए गए अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि 40 प्रतिशत शैक्षिक अपव्यय का कारण छात्र का एक कक्षा में एक से अधिक वर्ष रुकना है। 20 प्रतिशत छात्र घरेलू परिस्थितियों तथा निर्धनता के कारण शाला छोड़ देते हैं।

श्री डी० आर० गाडगिल तथा श्री वी० एम० दांडेकर द्वारा सतारा जिले में प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक अपव्यय के सम्बन्ध में किये गए अध्ययन से निम्न कारण ज्ञात हुए हैं :—

(अ) अवरोधन —

अध्ययन से यह बात सामने आई है कि एक कक्षा में बालक का एक से अधिक वर्ष रुकना शैक्षिक अपव्यय का मूल कारण है। शाला में अध्यापन की स्थितियों में सुधार करने से शैक्षिक अपव्यय में कमी की जा सकती है।

(ब) आयु—

इस अध्ययन से यह तथ्य भी सामने आया है कि बहुत से बालक शाला इस कारण से छोड़ देते हैं क्योंकि वहां उनको आयु से छोटा बनकर रहना पड़ता है। बालक की आयु भी अवरोधन का एक कारण है। बालक जिस कक्षा में बैठता हैं, हो सकता है वह उस कक्षा के लिए बहुत छोटा या बहुत बड़ा हो।

(स) सामाजिक तथा आर्थिक कारण—

1. जाति:—अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि ब्राह्मण, जैन, लिंगायत, तथा वानी आदि उच्च जातियों में अपव्यय एवं अवरोधन कम होता है।

---

1. डी०वी० चिकरमने—"भारत की प्राथमिक शालाओं में शैक्षिक अपव्यय" Education and Psychology Review Vol. 2, जनवरी 1962

2. परिवार की आय:—परिवार की आय भी अपव्यय एवं अवरोधन को प्रभावित करती है। परिवार की आय में कमी होने के कारण अपव्यय एवं अवरोधन अधिक होता है।

3. व्यवसाय:—इस अध्ययन से यह तथ्य भी सामने आया है कि व्यापार तथा नौकरी में लगे हुए अभिभावक कृषि कार्य में लगे हुए अभिभावकों की तुलना में बालक की शिक्षा को चालू रखने के लिए विशेष प्रयत्नशील रहते हैं।

4. कृषि योग्य भूमि :— अध्ययन से यह बात भी सामने आई है कि कम से कम 3 एकड़ कृषि-योग्य भूमि होने पर अभिभावक बालक/बालिका को प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति तक शाला में भेज सकते हैं।

5. पशुधन :— कृषि कार्य में लगे हुए परिवारों का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ है कि जिन परिवारों में दो या दो से अधिक बैल हैं वे बालक की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।

6. परिवार के मुखिया से बालक का सम्बन्ध:—लड़कों की शिक्षा के बिन्दु को ध्यान में रखकर किए गए अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि परिवार का मुखिया इसमें विशेष सहयोग दे सकता है। यह कार्य मुखिया के बालक से सम्बन्ध पर निर्भर करता है। यदि परिवार का मुखिया बालक की शिक्षा में दृढ़तापूर्वक रुचि प्रदर्शित करता रहेगा तो बालक प्राथमिक स्तर तक का अध्ययन अवश्य पूरा कर सकेगा।

(द) अपव्यय एवं अवरोधन के कुछ मूल कारण—

अध्यापकों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि शैक्षिक अपव्यय एवं अवरोधन के कुछ विशेष कारण हैं; जैसे—अभिभावक का गांव छोड़कर चला जाना, बालक को खेती का कार्य मिल जाना, परिवार द्वारा अपनाए गए व्यवसाय में लग जाना, गांव में ही अन्य किसी काम में लग जाना, गाय, बकरी आदि पशु चराना तथा बौद्धिक दृष्टि से असामान्य होना।

श्री पी० चौधरी ने चौबीस परगना जिला (कलकत्ता) में अपव्यय एवं अवरोधन के विभिन्न कारणों की स्थिति का पता लगाने के उद्देश्य से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं की स्थिति का अध्ययत किया। इस अध्ययन में कार्यरत कार्यकर्ताओं ने एक चेकलिस्ट तैयार की जिसमें संभावित कारणों का उल्लेख किया गया था। यह चेकलिस्ट विभिन्न शिक्षकों तथा समितियों में वितरित की गई थी। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कुछ तथ्य सामने आए हैं। उन तथ्यों को कुछ विशिष्ट श्रेणियों में बांटा गया है।

(1)	आर्थिक कारण (माता-पिता की निर्धनता)	33 प्रतिशत
(2)	माता-पिता की शिक्षा में अरुचि	26 ,,
(3)	सामाजिक आदत तथा रीति-रिवाज	6.8 ,,
(4)	उपस्थिति की अनियमितता	15.8 ,,
(5)	छोटी आयु के बालकों का प्रवेश	4.8 ,,
(6)	कक्षा 1 का बड़ा होना (अधिक छात्र संख्या)	2.5 ,,
(7)	शिक्षण विधि तथा पाठ्यक्रम का अप्रभावी होना	4 ,,
(8)	अन्य कारण	7.1 ,,

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के शैक्षिक प्रशासन विभाग के द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षा में शैक्षिक अपव्यय एवं अवरोधन पर राष्ट्रीय स्तर पर किये गये अध्ययन से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने शाला, बालक तथा परिवार को मुख्य बिन्दु के रूप में मानकर विस्तृत अध्ययन किया है। प्रत्येक बिन्दु के आधार पर प्राप्त तथ्य प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

(अ) शाला से सम्बद्ध कारण—

1. बालकों/बालिकाओं का शाला छोड़कर चले जाने का पारी प्रणाली से विशेष सम्बन्ध है। दो पारी की शालाओं के छात्र एक पारी की शालाओं की तुलना में अधिक संख्या में शाला छोड़ कर चले जाते हैं। प्रातःकालीन पारी की तुलना में सायं-कालीन पारी में अपव्यय का प्रतिशत अधिक है। यह अध्ययन केवल दिल्ली प्रशासन की शालाओं में ही किया गया है; अतः इस तथ्य को सामान्य तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

2. अध्यापक की शैक्षिक योग्यता तथा मासिक वेतन का भी अपव्यय से सीधा सम्बन्ध है। योग्य तथा उच्च वेतन-प्राप्त शिक्षकों के पास पढ़ने वाले बालक शाला छोड़कर नहीं जाते हैं।

3. जिन शालाओं में पाठ्यक्रम सहगामी कार्यक्रमों का विशेष तैयारी के साथ आयोजन किया जाता है, वहां अध्ययन करने वाले बालक शाला छोड़कर नहीं जाते है। ऐसी शालाओं में छोड़कर चले जाने वाले छात्रों का प्रतिशत बहुत कम होता है।

4. अध्यापक के निवास की शाला से दूरी का भी इस समस्या से सीधा सम्बन्ध है। जहां शिक्षकों को शाला के पास रहने की सुविधा प्राप्त है, वहां बालक शाला में नियमित रहते हैं तथा छोड़कर नहीं जाते हैं। इसके साथ-साथ यह भी तथ्य सामने आया है कि अध्यापक तथा छात्र-संख्या का अनुपात कम होने के कारण भी बालक शाला में नियमित रूप से आते रहते हैं।

(ब) छात्र से सम्बद्ध कारण--

1. नियमित रूप से आने वाले छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि छोड़कर जाने वालों से अधिक होती है।
2. छोड़कर जाने वालों की उपस्थिति नियमित छात्रों की तुलना में कम होती है। जो छात्र 60 प्रतिशत से भी कम उपस्थित रहता है, वह (Drop out) अपव्यय या क्षरण का अच्छा उदाहरण है।
3. यह भी तथ्य सामने आया है कि छोड़कर जाने वाले छात्र या छात्रा की आयु शाला प्रवेश के समय राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित आयु से अधिक होती है।
4. नियमित छात्र बीच में छोड़कर चले जाने वाले छात्रों की तुलना में अध्ययन आदि में विशेष रुचि प्रदर्शित करते है।

5. नियमित रूप से आने वाले छात्र अपने शिक्षकों को दयालु तथा सक्षम मानते हैं।
6. नियमित रूप से आने वाले छात्रों के अभिभावक शैक्षिक कार्यक्रमों के अवसर पर अपने बालकों को पुरस्कार देते हैं। इसके विपरीत छोड़कर चले जाने वाले छात्रों के माता-पिता का व्यवहार विपरीत ही होता है।
7. शाला को छोड़कर चले जाने वाले छात्रों को अध्यापकों द्वारा दण्ड दिया जाता हैं।
8. नियमित रूप से आने वाले छात्रों को नेतृत्व का अवसर मिलता है। वे कक्षा-नायक भी बनते हैं तथा छात्र संसद् में भी उनको स्थान मिलता हैं।
9. नियमित रूप से आने वाले छात्रों के अभिभावक शिक्षा में विशेष रुचि लेते हैं। इसके विपरीत छोड़कर चले जाने वाले छात्रों के अभिभावक शाला का विशेष महत्व स्वीकार नहीं करते हैं।

(स) परिवार से सम्बद्ध कारण—

1. शाला को वर्ष के मध्य में छोड़कर चले जाने वाले छात्र छोटे परिवार से आते हैं।
2. ये छात्र अपने माता पिता की एकमात्र सन्तान होते हैं।
3. छोड़कर चले जाने वाले छात्र/छात्रा बहुधा प्रथम सन्तान होते हैं।
4. ये छात्र बहुधा उस परिवार के सदस्य होते हैं जिनमें माता या पिता में से किसी एक या दोनों की मृत्यु हो जाती है।
5. ये छात्र बहुधा केन्द्रीय (Nucleus) परिवार से आते हैं।
6. ये छात्र बहुधा परिगणित/अनुसूचित या पिछड़ी जाति के होते हैं।
7. छोड़कर जाने वाले छात्र बहुधा उन परिवारों के सदस्य होते हैं जिनका मूल व्यवसाय कृषि, मजदूरी या हस्त-उद्योग होता है।
8. ये छात्र बहुधा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए परिवारों से आते हैं।
9. छोड़कर जाने वाले छात्र कम आमदनी वाले परिवार से आते हैं।
10. छोड़कर जाने वाले छात्रों या छात्राओं के माता-पिता अधिक आयु के होते हैं।
11. नियमित अध्ययन करने वाले छात्रों के माता-पिता अपने बालक की शैक्षिक उपलब्धि से सन्तुष्ट रहते हैं।
12. नियमित रूप से शाला में अध्ययन करने वाले छात्रों के अभिभावक शाला की भौतिक सुविधा से संतुष्ट होते हैं।
13. छोड़कर जाने वाले छात्रों की तुलना में नियमित रूप से आने वाले छात्रों के अभिभावक अपने बालकों को उच्च शिक्षा दिलवाने की आवश्यकता अनुभव करते हैं।

14. छोड़कर जाने वाले बालकों के माता-पिता बालक की शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय को भारस्वरूप मानते हैं।

शैक्षिक अपव्यय के सम्बन्ध में किए गए अन्य अध्ययनों से प्राप्त तथ्यों का उल्लेख नहीं करते हुए हम उक्त कारणों पर गहराई से विचार करते हैं।

सभी कारणों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता हैं कि ये एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। उदाहरणस्वरूप यह कहा जा सकता हैं कि उपस्थिति की अनियमितता के पीछे घर की निर्धनता भी एक प्रमुख कारण है। माता-पिता बालक को अपना काम पूरा करवाने के लिए घर पर रोक लेते हैं। शैक्षिक अपव्यय के कुछ कारण ऐसे हैं जिनका वर्तमान स्थिति में कोई उपचार संभव नहीं है। उदाहरणस्वरूप हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक अपव्यय को कम करने के लिए अभिभावकों/मातापिताओं की आर्थिक स्थिति को ठीक बनाया जाना चाहिए जिससे वे अपने बालकों को पढ़ने भेजते रहें।

ऐसा होने पर वे बालक को घर पर नहीं रोकेंगे। आर्थिक दृष्टि से असम्पन्न परिवारों के बालक शालाओं में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर पाते हैं।

विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त विविध कारणों का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि शैक्षिक अपव्यय के कुछ मूल कारण हैं। हम इन कारणों की सूची बनाकर उसके आधार पर कार्य-योजना का निर्माण कर सकते हैं।

इस समस्या के महत्वपूर्ण कारणों की सूची निम्न प्रकार से है। कुछ शालाओं में इनसे भिन्त कारण भी हो सकते हैं।

1. आयु वर्ग में विभिन्नता
2. वर्ष भर छात्रों का प्रवेश चालू रहना।
3. उपस्थिति की अनियमितता।
4 परीक्षा की दोषपूर्ण प्रणाली।
5. एक ही कक्षा में छात्र का अधिक वर्ष रुकना।
6. पठनारंभ के शिक्षण पर विशेष बल नहीं दिया जाना।
7. बालकों के पास पुस्तकों तथा अन्य आवश्यक उपकरणों का अभाव हैं।
8. कक्षाओं में छात्रों की अधिक संख्या का होना।
   (शिक्षक-छात्र अनुपात का अधिक होना)
9. दोष पूर्ण शिक्षाक्रम।
10. प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने की अनुपयुक्त विधियां।
11. शिक्षा के प्रति अभिभावकों की उपेक्षा (समाज-शिक्षा के कार्यक्रम का अभाव)।
12. शाला में आकर्षण का अभाव।
13. अपूर्ण तथा एकाध्यापकीय शालाएं।
14. समाज की आवश्यकता तथा शिक्षा प्रणाली के बीच अन्तर्सम्बन्ध का अभाव।
15. शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा तथा आर्थिक सम्पन्नता को उन्नत करने के उपायों में कमी होना।

16. शालाओं में प्रभावहीन तथा अपूर्ण पाठ्यक्रम-सहगामी कार्यक्रमों का आयोजन ।

17. बालकों के लिए उत्प्रेरण का अभाव ।

18. बालकों का अभिभावकों द्वारा अन्य घरेलू कार्यों में लगाया जाना ।

19. अप्रभावी निरीक्षण तथा परिवीक्षण ।

20. शालाओं में सहायक सामग्री का अभाव ।

उक्त सूची में शैक्षिक अपव्यय के कुछ सामान्य कारणों का उल्लेख किया गया है। इनमें से सभी एक ही शाला में समान रूप से नहीं पाये जाते हैं। कोई शाला ऐसी भी हो सकती है जहां शैक्षिक अपव्यय का कोई विशेष कारण हो सकता हैं।

किसी भी शाला में शैक्षिक अपव्यय को कम करने की कार्य-योजना को प्रारम्भ करने के पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस शाला-विशेष में शैक्षिक अपव्यय के कारणों की सूची बना ली जाय तथा उसके आधार पर ही क्रियात्मक कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाय।

अगले अध्याय में परिवीक्षकों के क्रियात्मक कार्यक्रम को तैयार करने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिए गए हैं।

अध्याय 2

परिवीक्षकों के लिए क्रियात्मक कार्यक्रम

पिछले कई वर्षों से हम शैक्षिक अपव्यय के कारणों की चर्चा कर रहे है किन्तु उसे कम करने के प्रयत्न उपेक्षित रहते आए हैं।

जब तक हमारे अध्यापक और परिवीक्षक अपव्यय को रोकने व घटाने का क्रमिक कार्यक्रम समुचित रूप से आरम्भ नहीं करते तब तक हम इस दिशा में कुछ भी संभव नहीं बना पाएंगे।

हमारा देश इतना विशाल है कि इस समस्या का अल्पकालिक समाधान नहीं निकाला जा सकता। परिवीक्षक को अपना कार्यक्रम कुछ इस ढंग से बनाना होगा कि किसी एक वर्ष में वह पांच विद्यालयों पर तो सघन रूप से कार्य करे और उनकी समस्याओं के सन्दर्भ में वहां अपव्यय घटाने के उपाय क्रियान्वित कराए और अन्य विद्यालयों को सामान्य निर्देश देता रहे।

परिवीक्षक यदि अपने क्षेत्र में अपव्यय घटाने का संकल्प करे तो उसे निम्नलिखित कार्य-पद्धतियों का अनुपालन करना चाहिए ताकि उसका कार्यक्रम प्रभावशाली बने :—

(क) शैक्षिक अपव्यय पर उपलब्ध पुस्तकों का अध्ययन।

(ख) शैक्षिक अपव्यय के सम्बन्ध में शिक्षकों और अभिभावकों में जागरूकता उत्पन्न करना।

(ग) अपने क्षेत्र में या चुनी हुई संस्थाओं में (जहां उसे सघन कार्य करना है) शैक्षिक अपव्यय की सीमा का सर्वेक्षण करना।

(घ) शिक्षकों को अपव्यय के कारण खोजने, निदान करने और प्रभावशाली उपाय क्रियान्वित करने में सहायता करना व निर्देशन देना।

(ङ) सत्रान्त में पुनः सर्वेक्षण करना और पता लगाना कि सघन कार्यक्रम के परिणाम-स्वरूप अपव्यय की सीमा में कितना सुधार हुआ है।

इन कार्य-पद्धतियों पर निम्नलिखित टिप्पणियां ध्यातव्य हैं :—

(क) शैक्षिक अपव्यय पर उपलब्ध पुस्तकों का अध्ययन—

परिवीक्षक के लिए आवश्यक है कि वह शैक्षिक अपव्यय की समस्याओं और उनके निराकरण के उपायों सम्बन्धी साहित्य से सुपरिचित रहे। ऐसा साहित्य विभिन्न आयोगों

के प्रतिवेदनों में, शैक्षिक सभाओं की अभिशंसाओं में, विचार-गोष्ठियों व कार्य-गोष्ठियों के प्रतिवेदनों में मिल सकेगा, व्यक्तिशः या किसी संस्था या संगठन द्वारा प्रकाशित अपव्यय सम्बन्धी उनके संकल्पों व प्रयत्नों के प्रकाशनों मे भी उसे मार्ग-दर्शक साहित्य उपलब्ध हो सकेगा। पठन–सम्बन्धी अध्यापन-परिचायिका, संचयी घटना–प्रपत्र, विज्ञान सम्बन्धी अध्यापन परिचायिका, सह पाठ्यक्रमीय कार्यक्रम सम्बन्धी निर्देश-पुस्तिकाएं, अध्यापक-अभिभावक परिषदों के प्रकाशन, विद्यालय व समुदाय विषय पर प्रकाशित पुस्तकों में भी उसे अपने काम का साहित्य उपलब्ध हो सकता है।

परिवीक्षक का दायित्व है कि वह क्षेत्र में काम कर रहे अध्यापकों का भली प्रकार मार्ग-दर्शन करे। उसके लिए उसे स्वयं भी समस्या से सम्बन्धित सभी पहलुओं की पूर्णतः अवगति रहनी चाहिए ताकि सभी संभव स्थितियों में वह आधिकारिक निर्देश दे सके।

अपने अध्ययन का आरम्भ वह **प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक अपव्यय**[1] से कर सकता है। यह परिचायिका शिक्षक [redacted] से सम्बोधित करके लिखी गई है। इसमें एक प्रारूप की सहायता से शिक्षक को स्वयं अपने स्तर पर अपने विद्यालय में अपव्यय का सर्वेक्षण करने, योजना बनाने और समुचित उपचारात्मक कार्यक्रम चलाने के सुझाव दिए गए हैं। इसमें उपचारात्मक कार्यक्रम से पहले और बाद में मूल्यांकन के उपाय भी बताए गए हैं। यह परिचायिका हिन्दी, तेलगु व कन्नड़ भाषाओं में उपलब्ध है।

उक्त पुस्तक परिवीक्षक अपने राज्य के राज्य शिक्षा संस्थान या शिक्षा सेवा प्रसार केन्द्रों से प्राप्त कर सकता है। यदि परिवीक्षक उक्त परिचायिका का राज्य की क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करके उसे प्रत्येक अध्यापक के पास पहुँचा सके तो वह एक महत्वपूर्ण सेवा होगी। वैसा करते हुए वह अपनी अन्तर्दृष्टि से अपने क्षेत्र की समस्याओं का प्रत्यभिज्ञान कर सकेगा; उसे शिक्षकों को देने योग्य सुझावों की बात भी सूझ सकेगी।

(ख) शैक्षिक अपव्यय के सम्बन्ध में शिक्षकों और अभिभावकों में जागरूकता उत्पन्न करना—

शैक्षिक अपव्यय तभी घटाया जा सकता है जब प्रत्येक विद्यालय अपनी समस्या का अपने स्तर पर निराकरण करने के लिए समुपयुक्त कार्यक्रम क्रियान्वित करे। इसके लिए आवश्यक होगा कि शिक्षक और अभिभावक अपव्यय की समस्या से अवगत हों; उन्हें इस दिशा में जागरूक किया जाए कि अपव्यय देश के आर्थिक और मानवीय शक्ति-स्रोतों पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है और उन गंभीर परिणामों को हमारा देश सहन नहीं कर सकता; अन्ततः उन्हें इस बात के लिए उत्प्रेरित किया जाए कि वे परस्पर सहयोग के आधार पर इस समस्या से निपटने का प्रभावशाली कार्यक्रम बनाएं। यह कोई सरल काम नहीं होगा। इस कार्य को बड़ी चतुराई से लागू करना होगा क्योंकि आज का अध्यापक पहले से ही कार्य–बहुलता से संत्रस्त है; उसकी अपनी आर्थिक और जीवनगत समस्याएं हैं; ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापक और विद्यालय बिल्कुल गरीब हैं; और दूसरी ओर अभिभावक

1. डी० एस० रावत तथा एस० एल० गुप्ता; पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षा, विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक परिषद्; अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली–16; जन० 1970

या बच्चों के माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के प्रति सावचेत नहीं हैं। उनकी आर्थिक परिस्थितियां उन्हें बच्चों को विद्यालय में रखने की इजाज़त नहीं देतीं। फिर भी अपव्यय की समस्या अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ही अधिक है; उन विद्यालयों की संख्या चार लाख से भी अधिक है। अतः शिक्षकों और अभिभावकों को अपव्यय के निराकरण के उद्यत करना परिवीक्षक के लिए चुनौती भार कम होगा।

शिक्षकों और अभिभावकों में अनुकूल चेतना जमाने के लिए निम्नांकित कार्यक्रम उपयोगी होंगे :—

(1) शिक्षकों के सम्मेलन बार-बार आयोजित किए जाएँ और उनमें अपव्यय के गंभीर परिणामों पर चर्चा की जाए। उन्हें प्रेरित किया जाए कि वे अपने विद्यालय में अपव्यय के परिणामों की खोज करें और उन्हें सम्मेलन के सामने प्रस्तुत करें। उन्हें अपव्यय से सम्बन्धित कुछ सुबोध साहित्य भी अध्ययन के लिए दिया जाए और उसके आधार पर सम्मेलनों में चर्चा की जाए।

(2) क्षेत्रीय स्तर पर अध्यापक–अभिभावक–संगठन बनाए जाएँ और उनमें अपव्यय की समस्या और उनके निराकरण के उपायों पर चर्चा की जाए। अभिभावकों के सामने शिक्षा की उपयोगिता और उसके उत्पादक महत्व पर भाषण दिए जाएँ। अभिभावकों को बच्चों के प्रवेश और **शाला चलो अभियान** में सक्रिय रूप से संयुक्त किया जाए।

(3) विद्यालयों को ऐसे चित्र तथा पोस्टर बनाने चाहिए जिनमें शिक्षा द्वारा सुखी और समृद्ध जीवन की कल्पना उभर सके। उसी प्रकार अपव्यय के कारण होने वाले नुकसान–आर्थिक ह्रास और मानव-शक्ति का ह्रास–के पोस्टर व चित्र भी बनाने चाहिए। इनसे अभिभावकों को अपव्यय के गंभीर परिणामों का बोध हो सकेगा और उसे रोकने के लिए सचेत हो सकेंगे।

(4) अध्यापकों और अभिभावकों के सहयोग से विकास-खण्ड के स्तर पर प्रदर्शनी (वर्ष में कम से कम एक) आयोजित करनी चाहिए और उसमें बच्चे के लिए शिक्षा की अनिवार्यता को उभारने और अपव्यय को रोकने के उपायों पर प्रकाश डाला जाए।

(5) अपव्यय रोकने व घटाने की प्रतियोगिता विकास-खण्ड के स्तर पर आयोजित की जाए। उत्तम प्रगति दिखाने वाले विद्यालय को साधन-सुविधाओं से पुरस्कृत किया जाए।

(6) शैक्षिक अपव्यय को घटाने में जो अध्यापक उत्साहपूर्वक काम करें और अच्छे परिणाम ला सकें उन्हें वैसे प्रमाण-पत्र देकर प्रोत्साहित किया जाए। उससे अध्यापकों को अपव्यय घटाने के नये-नये उपाय खोजने की प्रेरणा मिल सकेगी।

(7) शैक्षिक अपव्यय घटाने में शिक्षक द्वारा किए गए प्रयत्नों का उल्लेख उसके परिवीक्षण पत्र में भी किया जाए। इससे शिक्षक समस्या की गभीरता और तात्कालिकता के महत्व को गंभीरता से स्वीकार कर सकेंगे।

(8) शिक्षकों और अभिभावकों में अपव्यय की समस्या और उसके गम्भीर परिणामों की जागरूकता पेश करने के लिए प्रतिष्ठित समाज-सुधारकों और कार्यकर्ताओं की भी सहायता ली जा सकती है।

(ग) शैक्षिक अपव्यय की सीमा का सर्वेक्षण करना–

शैक्षिक अपव्यय से सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन तथा अध्यापकों–अभिभावकों से चर्चा करने के बाद परिवीक्षक अपने को इस स्थिति में मान सकता है कि वह अपने क्षेत्र में में या कुछ चुने हुए (जिनमें कि वह सघन रूप से अपव्यय-निवारक कार्य करना चाहता है) स्कूलों में अपव्यय की सीमाओं का सर्वेक्षण कर सके।

अच्छा तो यह रहेगा कि परिवीक्षक अपने क्षेत्र के सभी विद्यालयों के अपव्यय सम्बन्धी आंकड़े रखे किन्तु क्रियात्मक कार्यक्रम के लिए उसें पांच या सात विद्यालय अपनी योग्यता, शक्ति और साधन-सुविधाओं के अनुसार चुनकर उनमें सघन कार्य करना चाहिये। इसके लिए दो बातें आवश्यक होंगी :—

(1) विभिन्न विद्यालयों के अध्यापकों को परिशिष्ट 1 में दिये गये फार्म क को भरने का प्रशिक्षण देना होगा। उन्हें इस बात के लिए भी तत्पर करना होगा कि नया सत्र आरम्भ होने के एक सप्ताह के भीतर वे वह फार्म भर कर परिवीक्षक के पास भेज दें।

(2) परिवीक्षक को तब, सब विद्यालयों के फार्मों से प्राप्त आंकड़ों को परिशिष्ट 1, 2 व 3 में दिए गए प्रारूप 1, 2 व 3 में फैलाना होगा और विद्यालय वार क्षरण, अवरोधन और कुल अपव्यय का ब्यौरा तैयार करना होगा। अपव्यय का विकास-खण्ड के स्तर पर प्रतिशत भी उससे तैयार किया जा सकेगा।

जहां तक उपर्युक्त बिन्दु (1) का सम्बन्ध है, परिवीक्षक को उक्त पुस्तक[1] के द्वितीय अध्याय को भी पढ़ना चाहिये। उस अध्याय में विद्यालय स्तर पर अपव्यय की सीमा आंकने की पद्धति और प्रणाली की चर्चा की गई है। कहीं कभी ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि फार्म क को भरने में अध्यापक को कठिनाई आए; वैसी स्थिति में परिवीक्षक को चाहिये कि वह ऐसे अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की सहायता से सब अध्यापकों को वह फार्म भरना सिखाये। जहां तक बिन्दु (2) का सम्बन्ध है, परिवीक्षक को स्वयं उन प्रारूपों का अध्ययन करना चाहिये।

---

1. प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक अपव्यय : रावत तथा गुप्ता, राष्ट्रीय शैक्षिक परिषद, अरविंद मार्ग, नई दिल्ली—16

प्रारूप 1, 2, 3 को कैसे भरा जाए, यह सब समझने से पहले उन संक्षिप्त शब्द-प्रारूपों का आशय समझ लेना चाहिये जिनका प्रयोग उन प्रारूपों में हुआ है।

(आ) सत्र के आरम्भ में किसी कक्षा में प्रवेश-प्राप्त छात्र। उनमें वे सभी छात्र सम्मिलित होंगे जो (1) पूर्ववर्ती कक्षा से उत्तीर्ण होकर आए हैं, (2) उस कक्षा में पहली बार भरती किये गये हैं तथा (3) उसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होकर पुनः प्रविष्ट हुए हैं।

(अ) सत्र के अन्त में किसी कक्षा में विद्यमान छात्र।

(क्ष) क्षरण प्राप्त या कक्षा छोड़कर चले जाने वाले कुल छात्र (आ—अ)।

(उ) उस कक्षा की वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल छात्र।

(अनु) उस कक्षा की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले कुल छात्र (अ—उ)।

क्षप्र : क्षरण-प्राप्त (कक्षा छोड़ देने वाले) छात्रों का प्रतिशत, यानी

$$\frac{\text{क्ष} \times 100}{\text{आ}} \text{ या } \frac{(\text{आ} - \text{अ}) \times 100}{\text{आ}}$$

अवप्र : अवरोधन (फेल होने वाले) का प्रतिशत, यानी

$$\frac{\text{अनु} \times 100}{\text{अ}} \text{ या } \frac{(\text{अ} - \text{उ}) \times 100}{\text{अ}}$$

अपव्यय प्र०: शैक्षिक अपव्यय का कुल प्रतिशत जिसमें क्षरण और अवरोधन दोनों शामिल होंगे, यानी $\frac{(\text{आ} - \text{उ}) \times 100}{\text{आ}}$

[एक बार फिर इस शब्दावली को जान लें :—

आ = आरम्भ में छात्र

अ = अन्त में छात्र

क्ष = क्षरण; (आ—अ)

उ = उत्तीर्ण छात्र

अनु = अनुत्तीर्ण छात्र (अ—उ)

क्षप्र = प्रतिशत क्षरण

अवप्र = अवरोधन प्रतिशत

अपव्यय प्र० = अपव्यय का प्रतिशत]

परिशिष्ट में दिए गये प्रारूप 1 का उपयोग विकास खण्ड के स्तर पर या चुनी हुई स्कूलों के स्तर पर क्षरण की प्रतिशत दर जानने के लिए किया जाना है।

प्रारूप 2 का उपयोग विकास-खण्ड स्तर पर या चुनी हुई स्कूलों के स्तर पर अवरोधन की प्रतिशत दर जानने के लिए किया जाना है।

प्रारूप 3 का उपयोग कुल अपव्यय की प्रतिशत दर (क्षरण तथा अवरोधन को मिलाते हुए) जानने के लिए किया जाना है–चाहे विकास खण्ड के स्तर पर, चाहे चुने हुए विद्यालयों के स्तर पर।

इन तीनों प्रारूपों को भरने के लिए आंकड़े फार्म क से प्राप्त होंगे और वह फार्म रावत तथा गुप्ता की पुस्तक[1] में दिया हुआ है। इन प्रारूपों को भरने से पहले फार्म क में आंकड़े अवश्य भरने चाहिये।

अब प्रारूप 1 को भरने का एक उदाहरण लेकर देखें। इस प्रारूप में 20 पंक्तियाँ और 9 स्तम्भ हैं। पंक्तियों में स्कूलों के नाम लिखे जायेंगे। स्तम्भ 1 में क्रम सख्या; 2 में विद्यालय का नाम; 3 में कक्षा से सम्बन्धित चार सूचनाएँ (आ, अ, क्ष, क्षप्र) होंगी, जिनमें से आ, अ तथा क्ष तो फार्म क से प्राप्त होंगी और क्षप्र की गणना परिवीक्षक को करनी होगी; स्तम्भ 4, 5, 6 और 7 इसी प्रकार से क्रमशः कक्षा 2, 3, 4 व 5 से सम्बन्धित सूचनाओं के लिए हैं; 8 वां स्तम्भ पांचों कक्षाओं से सम्बन्धित आ, अ, क्ष तथा क्षप्र की कुल संख्या निकालने के लिए हैं; इसमें सब कक्षाओं के आ, अ तथा क्ष का योगफल करना है और कुल क्षप्र निकालना है। नवां स्तम्भ विशेष टिप्पणी के लिए है।

परिशिष्ट में प्रारूप 1 में एक विद्यालय के आंकड़े दिए गये हैं। उनका आशय यहां समझ लें। कक्षा 1 के स्तम्भ में आ=35, अ=20, क्ष=15 है। इसका मतलब यह हुआ कि कक्षा 1 में 35 छात्रों ने प्रवेश लिया था; सत्र के अन्त में 20 रह गए; यानी 15 छात्रों का क्षरण हुआ (आ–अ=35—20=15)। अतः क्षरण का प्रतिशत हुआः— $\frac{\text{क्ष} \times 100}{\text{आ}} = \frac{15 \times 100}{35} = \frac{300}{7} = 42.6$। प्रारूप में उसे पूर्णाङ्क में ही दिया गया है– सुविधा के लिए। यदि 8 या उससे ऊपर दशमलव आए तो उसे 1.00 मानेंगे, नहीं तो उसे छोड़ देंगे।

इसी पद्धति से (प्रारूप 1 में) कक्षा 2, 3, 4 व 5 के लिए क्षप्र निकाले गये हैं।

स्तम्भ 8 में सब कक्षाओं के आ=128; अ=85 और क्ष=43 आते हैं। तब इस विद्यालय का क्षप्र $= \frac{\text{क्ष} \times 100}{\text{आ}} = \frac{43 \times 100}{128} = 33$ हुआ।

इस ढग से परिवीक्षक को प्रत्येक विद्यालय का क्षरण प्रतिशत कक्षावार और विद्यालयवार निकालना पड़ेगा। यदि विद्यालयों की संख्या 20 से अधिक हो तो उसे बड़े कागज पर यह प्रारूप तैयार करके काम करना चाहिये।

विकास-खण्ड के प्रत्येक विद्यालय का क्षप्र जब निकाल लिया जाय तो औसत निकालने के लिए स्तम्भवार क्षप्र को जोड़कर उसमें कुल विद्यालय संख्या का भाग दे देना चाहिये। मान लें कि 20 विद्यालयों के क्षप्र का योग 925 आया तो औसत क्षप्र $= \frac{925}{20}$ =46 हुआ जो कि उस क्षेत्र का क्षप्र माना जायेगा।

---

1. प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक अपव्ययः राष्ट्रीय शैक्षिक परिषद, जनवरी, 1970

प्रारूप 3 का उपयोग कुल अपव्यय की प्रतिशत दर (क्षरण तथा अवरोधन को मिलाते हुए) जानने के लिए किया जाना है–चाहे विकास खण्ड के स्तर पर, चाहे चुने हुए विद्यालयों के स्तर पर।

इन तीनों प्रारूपों को भरने के लिए आंकड़े फार्म क से प्राप्त होंगे और वह फार्म रावत तथा गुप्ता की पुस्तक[1] में दिया हुआ है। इन प्रारूपों को भरने से पहले फार्म क में आंकड़े अवश्य भरने चाहिये।

अब प्रारूप 1 को भरने का एक उदाहरण लेकर देखें। इस प्रारूप में 20 पंक्तियाँ और 9 स्तम्भ हैं। पंक्तियों में स्कूलों के नाम लिखे जायेंगे। स्तम्भ 1 में क्रम संख्या; 2 में विद्यालय का नाम; 3 में कक्षा से सम्बन्धित चार सूचनाएँ (आ, अ, क्ष, क्षप्र) होंगी, जिनमें से आ, अ तथा क्ष तो फार्म क से प्राप्त होंगी और क्षप्र की गणना परिवीक्षक को करनी होगी; स्तम्भ 4, 5, 6 और 7 इसी प्रकार से क्रमशः कक्षा 2, 3, 4 व 5 से सम्बन्धित सूचनाओं के लिए हैं; 8 वा स्तम्भ पांचों कक्षाओं से सम्बन्धित आ, अ, क्ष तथा क्षप्र की कुल संख्या निकालने के लिए है; इसमें सब कक्षाओं के आ, अ तथा क्ष का योगफल करना है और कुल क्षप्र निकालना है। नवां स्तम्भ विशेष टिप्पणी के लिए है।

परिशिष्ट में प्रारूप 1 में एक विद्यालय के आंकड़े दिए गये हैं। उनका आशय यहां समझ लें। कक्षा 1 के स्तम्भ में आ=35, अ=20, क्ष=15 है। इसका मतलब यह हुआ कि कक्षा 1 में 35 छात्रों ने प्रवेश लिया था; सत्र के अन्त में 20 रह गए; यानी 15 छात्रों का क्षरण हुआ (आ–अ=35—20=15)। अतः क्षरण का प्रतिशत हुआः— $\frac{\text{क्ष} \times 100}{\text{आ}} = \frac{15 \times 100}{35} = \frac{300}{7} = 42.6$। प्रारूप में उसे पूर्णांक में ही दिया गया है–सुविधा के लिए। यदि 8 या उससे ऊपर दशमलव आए तो उसे 1.00 मानेंगे, नहीं तो उसे छोड़ देंगे।

इसी पद्धति से (प्रारूप 1 में) कक्षा 2, 3, 4 व 5 के लिए क्षप्र निकाले गये हैं।

स्तम्भ 8 में सब कक्षाओं के आ=128; अ=85 और क्ष=43 आते हैं। तब

इस विद्यालय का क्षप्र $= \frac{\text{क्ष} \times 100}{\text{आ}} = \frac{43 \times 100}{128} = 33$ हुआ।

इस ढंग से परिवीक्षक को प्रत्येक विद्यालय का क्षरण प्रतिशत कक्षावार और विद्यालयवार निकालना पड़ेगा। यदि विद्यालयों की संख्या 20 से अधिक हो तो उसे बड़े कागज पर यह प्रारूप तैयार करके काम करना चाहिये।

विकास-खण्ड के प्रत्येक विद्यालय का क्षप्र जब निकाल लिया जाय तो औसत निकालने के लिए स्तम्भवार क्षप्र को जोड़कर उसमें कुल विद्यालय संख्या का भाग दे देना चाहिये। मान लें कि 20 विद्यालयों के क्षप्र का योग 925 आया तो औसत क्षप्र $= \frac{925}{20}$ $= 46$ हुआ जो कि उस क्षेत्र का क्षप्र माना जायेगा।

---

1. प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक अपव्ययः राष्ट्रीय शैक्षिक परिषद, जनवरी, 1970

यदि किसी विद्यालय का क्षप्र क्षेत्र के औसत क्षप्र से अधिक हो, तो परिवीक्षक उस विद्यालय के सामने स्तम्भ 9 में (विशेष टिप्पणी में) × का निशान कर दे ताकि अपने सघन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने में वह विद्यालयों की प्राथमिकता निर्धारित कर सके ।

प्रारूप 2 और 3 को भरने की पद्धति भी वही होगी जो प्रारूप 1 के लिए है। प्रारूप 2 में पहले प्रत्येक कक्षा का अवरोधन प्रतिशत (अवप्र) और तब पूरे विद्यालय का अवप्र निकालना पड़ेगा। अन्त में सब विद्यालयों का औसत अवप्र निकालना पड़ेगा।

अवप्र निकालने के लिए पहले अनु की गणना करनी पड़ेगी। अनु=अ—उ होगा (यानी सत्रांत में जो छात्र संख्या है उसमें से उत्तीर्ण संख्या को घटाकर)। बाद में,

अवप्र $= \frac{\text{अनु} \times 100}{\text{आ}}$ के सूत्र से निकालना होगा।

विकास-खण्ड के सभी विद्यालयों का औसत अवप्र निकालने के लिए सभी विद्यालय के अवप्र को जोड़कर, उसमें कुल विद्यालय संख्या का भाग देना चाहिए (उसी तरह से जैसे प्रारूप 1 में औसत क्षप्र निकाला गया था)।

यदि किसी विद्यालय का अवप्र विकास खण्ड के औसत अवप्र से अधिक हो तो परिवीक्षक को चाहिए कि विशेष टिप्पणी में उस विद्यालय के सामने × का निशान कर दे ताकि वैसे विद्यालयों को वह सघन कार्यक्रम में प्राथमिकता के लिए चुन सके।

प्रारूप 3 का उपयोग कुल अपव्यय प्रतिशत—जिसमें क्षरण और अवरोधन दोनों सम्मिलित होते हैं—की गणना के लिए होगा। यह प्रारूप सरल है। इस गणना के लिए आ (सत्र के आरम्भ में छात्र सख्या) में से उ (सत्रांत में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या) को घटाकर शेष में 100 का गुणा और आ का भाग देना चाहिए।

$$\frac{(\text{आ}-\text{उ}) \times 100}{\text{आ}}$$

औसत अपव्यय प्रतिशत निकालने के लिए विभिन्न विद्यालयों के अपव्यय प्रतिशत को जोड़कर उसमें विद्यालयों की संख्या का भाग देना चाहिये।

यदि किसी विद्यालय का अपव्यय प्रतिशत औसत अपव्यय प्रतिशत से अधिक हो तो विशेष टिप्पणी के स्तम्भ में उस विद्यालय के सामने × का निशान कर देना चाहिये।

यदि परिवीक्षक छात्र और छात्राओं के क्षरण, अवरोधन और अपव्यय के आंकड़े अलग-अलग निकालना चाहे तो उसे पहले और दूसरे स्तम्भों को छोड़कर शेष सबके दो-दो भाग (एक छात्र, एक छात्रा) कर लेने चाहिए और प्रत्येक की गणना पृथक्-पृथक् करनी चाहिये। अन्तिम स्तम्भ में वह दोनों का जोड़ ले सकता है।

इस प्रकार का सर्वेक्षण परिवीक्षक को अपव्यय की स्थिति की जानकारी करने, प्राथमिकता की दृष्टि से विद्यालयों का चुनाव करने, योजना बनाने और सघन कार्यक्रम चलाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण सहायक उपकरण होगा। इसके आधार पर वह ऐसे विद्यालयों का प्रकरण अध्ययन भी कर सकता है जहां अपव्यय की दर बहुत अधिक है, बहुत कम है,

अपेक्षाकृत अचल है, अस्थिर हैं आदि । ऐसे प्रकरण अध्ययन भी उसे अपव्यय के कारणों का पता लगाने और समुपयुक्त कार्य-योजना बनाने में मदद करेंगे ।

(घ) शिक्षकों को अपव्यय के कारण खोजने, निदान करने और प्रभावशाली उपाय क्रियान्वित करने में सहायता करना व निर्देश देना—

(i) परिवीक्षक का सर्वोपरि दायित्व अध्यापकों को उनके शिक्षण-समुन्नयन कार्यक्रम में साहाय्य व निर्देशन देने तथा उन समस्याओं के निराकरण में मदद करना है जो शिक्षण और विद्यालय समुन्नयन में बाधा डालती है । परिवीक्षक को एक विचार-वाहक के रूप में काम करना पड़ता है जो विद्यालयों में अभिनव उपक्रम तथा नये विचारों का स्फुरण पैदा करता है । शैक्षिक अपव्यय घटाने के लिए शिक्षकों को परिवीक्षक के निर्देशन की नितान्त आवश्यकता रहेगी—न केवल विद्यालय स्तर पर अपव्यय के कारणों की खोज में बल्कि उसे घटाने की योजना बनाने और उस योजना को क्रियान्वित करने में भी । इस कार्य में वह एक उत्प्रेरक प्रतिकारक की भांति काम करेगा ।

(ii) **प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक अपव्यय** नामक पुस्तक में शैक्षिक अपव्यय के कारणों की खोज करने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिए गए हैं । परिवीक्षक, शिक्षकों के साथ कर बैठकर उन्हें समझा सकता है कि अपव्यय के कारणों की खोज कैसे की जाए । वह उनके साथ बैठकर संचयी घटना-प्रपत्र, उपस्थिति रजिस्टर, प्रगति पत्र, अंक तालिका आदि की प्रविष्टियों पर चर्चा करके बता सकता है कि उनके आधार पर अपव्यय के कारणों का कैसे पता लगाया जाए । वह उन्हें बता सकता है कि पर्यवेक्षण, प्रश्नावली और साक्षात्कार भी क्षरण के कारणों का पता लगाने की अच्छी तकनीकें हैं । परिवीक्षक कुछ क्षरित और कुछ नियमित छात्रों के प्रकरण-अध्ययन करके प्रत्यक्षतः भी शिक्षकों को बता सकता है कि अपव्यय के कारणों का पता कैसे लगाया जाता है ।

परिवीक्षक समय-समय पर शिक्षकों के सामने वार्ता देकर भी कुछ प्रसिद्ध कारण उन्हें समझा सकता है : उनमें कुछ तो ऐसे है ही जो प्रत्येक विद्यालय पर लागू होते हैं । उदाहरण के लिए, विद्यालय में रुचिकर व आकर्षक प्रवृत्तियों का अभाव अधिकतर विद्यालयों में अपव्यय का एक सामान्य कारण हो सकता है ।

विद्यालय का परिवीक्षण करते समय परिवीक्षक के ध्यान में कुछ ऐसे कारण आ सकते हैं जो अपव्यय के महत्वपूर्ण घटक हों । वे कारण तभी उसके ध्यान में आएँगे जब वह परिवीक्षण में उसी दृष्टि—मति से विद्यालय की प्रथाओं और वहां के व्यवहारों की संवीक्षा करे । ऐसे कारणों का पता लगाकर उसे चाहिए कि वह उन्हें अध्यापकों के ध्यान में लाए और बताए कि उनके यहां अपव्यय लाने वाले अमुक-अमुक कारण विद्यमान हैं, जिन्हें दूर किया जाना चाहिए ।

अपने क्षेत्र के 5 या 6 विद्यालय चुनकर परिवीक्षक वहां न्यादर्श सर्वेक्षण कर सकता है । इस सर्वेक्षण में वह शिक्षकों, अभिभावकों तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को भी सहयोगी बना सकता है। विद्यालयों के चुनाव में उसे कुछ छात्र विद्यालय, कुछ छात्रा विद्यालय, कुछ ऊंची अपव्यय की दर वाले, कुछ कम अपव्यय की दर वाले विद्यालय चुनना चाहिए । इस सर्वेक्षण के लिए उसे प्रपत्र क में प्राप्त सूचनाओं, प्रारूप 1, 2 व 3 में समेकित आंकड़ों, विद्यालयों के अभिलेखों (उपस्थिति रजिस्टर, प्रगति पत्र, परीक्षा रजिस्टर आदि) का उपयोग करना चाहिए । इस सर्वेक्षण में वह शिक्षकों, छात्रों व अभिभावकों के लिए ऐसी प्रश्नावली भी विकसित कर सकता है जिससे अपव्यय के कारणों का पता लग सके ।

अपव्यय के कारणों की खोज के लिए इस ढंग से किए गए कार्यक्रम से एक ओर तो परिवीक्षक में समस्या को समझने और उसका समाधान पाने की अन्तर्दृष्टि का विकास होगा और दूसरी ओर प्रभावशाली निर्देशन, संचालन और प्रशासन की कुशलता का उसमें विकास होगा ।

(iii) किन्तु, मात्र सर्वेक्षण करके अपव्यय के कारणों की खोज करने या शिक्षकों को कारण खोजने की पद्धति बताने से परिवीक्षक का दायित्व पूरा नहीं हो जाता ।

वस्तुतः बहुत से अध्यापक अपव्यय (क्षरण और अवरोधन) के अनेक कारण जानते हैं, यद्यपि वे उन्हें उस नाम से नहीं पुकारते । उनकी प्रधान समस्या कारण खोजने की नहीं होती बल्कि उनका निराकरण करने की योजना बनाने और उस योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने की होती है । और, इसी स्तर पर परिवीक्षक को सक्रिय होना पड़ेगा ।

एक बार जब विद्यालय अपव्यय के कारणों का पता लगा लें, तब परिवीक्षक को विद्यालय प्रधानों तथा अध्यापकों की एक बैठक बुलाकर अपव्यय घटाने की कार्य-योजना बनवानी चाहिए । कार्य-योजना में एक ओर अपव्यय के कारण का उल्लेख होना चाहिए और दूसरी ओर उसके निराकरण का कार्यक्रम होना चाहिए ।

मान लीजिए, अपव्यय के कारणों में एक कारण **उपस्थिति की अनियमितता** आता है । तब यह भी विचार करना चाहिए कि इस स्थूल कारण के अन्तर्गत कुछ उप-कारण भी हो सकते हैं । उपस्थिति की अनियमितता के विभिन्न कारणों की चर्चा करनी चाहिए, जैसे: कुछ कारण शायद ऐसे होंगे–

कि छात्र घर के किसी काम के लिए घर पर रोक लिया जाता हो;
वर्षा के कारण छात्र को स्कूल आने में कठिनाई हो;
छात्र कुसंगति में पड़ गया हो और रास्ते में इधर-उधर खेलता या छिपता रहा हो;
छात्र को स्कूल का कार्यक्रम रुचिकर न लग रहा हो;
छात्र किन्हीं अतिचारी छात्रों के आचरण में भय-ग्रस्त हो :
छात्र का स्वास्थ्य खराब हो; आदि–आदि ।

एकाध बार इस प्रकार का विचार–विमर्श हो जाए, तो बाद में समुपयुक्त कारण को निर्दिष्ट करने और उसके लिए कार्य-योजना बनाने का काम सरल हो जाएगा।

कार्य-योजना बनाने का काम परिवीक्षक के निर्देशन में कार्य-गोष्ठी के रूप में होना चाहिए। अपव्यय के स्थूल कारणों का पता लगाकर गोष्ठी में उनका विगतवार विश्लेषण और समाधान होना चाहिए। विस्तृत तथा सुनिर्दिष्ट कारण-सूची के बन जाने पर प्रत्येक कारण के लिए कार्य-योजना पर विचार होना चाहिए। कार्य योजना के सोपानों में अध्यापक, अभिभावक, परिवीक्षक आदि के दायित्व निश्चित किए जाने चाहिए; यदि कोई प्रशासकीय निर्णय लिए जाने हों तो उनका उल्लेख होना चाहिए; यदि किसी वित्तीय प्रावधान की आवश्यकता हो तो उसका संकेत होना चाहिए : समुदाय या स्थानीय समाज से कोई सहायता चाहिए तो उसकी क्रियान्विति स्पष्ट होनी चाहिए; प्रत्येक कार्य सोपान की समय-सीमा निश्चित करनी चाहिए : उसके मूल्यांकन की पद्धति निश्चित करनी चाहिए और अन्ततः अनुवर्ती कार्यक्रम का संकेत करना चाहिए।

(iv) इस परिचायिका में अपव्यय के प्रत्येक निर्दिष्ट कारण के लिए कार्य-योजना दे पाना सम्भव नहीं है क्योंकि वे कारण प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक छात्र की अपेक्षा में विभिन्न हो सकते हैं; उन निर्दिष्ट कारणों की तालिका बहुत लम्बी भी हो सकती है और वस्तुतः तो उनसे सम्बन्धित कार्य-योजना स्थानीय आवश्यकताओं और साधन-सुविधाओं पर निर्भर रहती है।

फिर भी, अध्यापक परिचायिका (प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक अपव्यय; रावत व गुप्ता) के चौथे अध्याय में निम्नलिखित क्रियात्मक कार्यक्रम सुझाए गए हैं;—

(क) विद्यालय के कार्य दिवस तथा अवकाशों का पुनर्नियोजन।

(ख) शैक्षिक अपव्यय घटाने के लिए अभिभावकों व समुदाय का सहयोग प्राप्त करना।

(ग) विद्यालीय कार्यक्रमों में रुचि–परकता तथा आकर्षण लाना–मध्याह्न भोजन द्वारा, पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों द्वारा, घरेलू कामकाजों के प्रावधान द्वारा, मेलों के आयोजन द्वारा, विद्यालय को सुदर्शनीय बनाकर, चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करके, अध्यापन का स्तर सुधार कर।

(घ) आयु-वर्गों की विषमता की समस्या का समाधान करना।

(ङ) कक्षा 1 में प्रवेश को नियमित करना।

(च) उपस्थिति की अनियमितता की समस्या का समाधान करना।

(छ) शिक्षण के स्तर तथा ढंग में सुधार करना–दृश्य–श्रव्य सामग्री का उपयोग करके, पाठ्यक्रम को पुनर्गठित करके, अविभक्त कक्षा-प्रणाली का प्रयोग करके, एक अध्यापकीय विद्यालय में सह-कक्षा शिक्षण की प्रणाली लागू करके, कक्षा 1 में पठन-शिक्षण में सुधार लाकर आदि।

(ज) मूल्यांकन की नवीन तकनीकों का प्रयोग करके।

अलग-अलग विद्यालयों में अलग-अलग क्रियात्मक-कार्यक्रम हो सकते हैं। वे उनकी अपनी स्थिति, समस्या और उपलब्ध साधनों के आधार पर बनेंगे।

कार्य-योजना की क्रियान्विति में सफल निर्देशन तथा सक्रिय सहयोग देने के लिए जरूरी है कि परिवीक्षक उन सभी कार्यक्रमों का सर्वांगपूर्ण ज्ञान रखे। उसके लिए उसे सन्दर्भ-सूची में बताए गए साहित्य का अध्ययन करना चाहिए और परिवीक्षण के समय स्थानीय समस्याओं और आवश्यकताओं को आंकने का कौशल विकसित करना चाहिए।

परिवीक्षक को अपने विद्यालयों में अकादमिक निर्देशन भी देने की आवश्यकता होगी और कुछ कार्यक्रमों के लिए उसे प्रशासकीय निर्णय भी लेने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए, यदि बच्चे सत्रारंभ में ही प्रवेश नहीं लेते तो उसे विभाग की अनुमति लेकर ऐसी कोई तिथि निश्चित करनी पड़ेगी जबकि सब बच्चे प्रवेश ले ही लें। उसे कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा कि बच्चों के अभिभावक विद्यालय खुलने के दो सप्ताह पहले बच्चे का प्रवेश करा दें। पहली कक्षा में बच्चे विद्यालय खुलने के दूसरे महीने के अन्त तक प्रवेश ले सकते हैं।

यदि कोई विद्यालय अविभक्त कक्षा–शिक्षण आरम्भ करना चाहता है तो इसे इस सम्बन्ध में स्वायत्तता देनी चाहिए। यदि स्वायत्तता देने का अधिकार परिवीक्षक की शक्ति–सीमा में न हो तो उसे इस सम्बन्ध में विभाग से उस विद्यालय को अनुमति दिलानी चाहिए।

(v) जिन विद्यालयों में अपव्यय घटाने के अच्छे कार्यक्रम चल रहे हों, परिवीक्षक को वहां जाकर उनका अध्ययन करना चाहिए। उससे उसे कार्य–प्रणाली का व्यावहारिक ज्ञान मिलेगा जो उसके निर्देशन में उपयोगी होगा।

(vi) परिवीक्षण के समय परिवीक्षक को उन कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो अपव्यय घटाने के उद्देश्य से विद्यालय द्वारा लिए गए हैं। वह अध्यापकों को कार्यरत निर्देशन भी दे सकता है; उनके द्वारा किए गए प्रभावशाली कामों का उल्लेख परिवीक्षण टिप्पणी में भी कर सकता है। जो अध्यापक इस दिशा में प्रसुप्त हों उन्हें उत्प्रेरित कर सकता है और जो शिथिल हों उन्हें सुझाव भी दे सकता हैं। इस प्रयोजन से वह विकास-खण्ड के स्तर पर प्रतियोगिताएँ भी आयोजित कर सकता है। प्रतियोगिता में अच्छे काम करने वाले अध्यापकों को प्रमाण-पत्र मिलने चाहिएँ और जन-सभा में उनका उल्लेख किया जाना चाहिए।

(vii) अच्छा तो यह होगा कि परिवीक्षक स्वयं कोई ऐसा विद्यालय चुन ले जहां अपव्यय की दर बहुत अधिक है; और स्वयं ही वह उसके कारण खोजने, कार्य योजना बनाने और वहां, समुपयुक्त कार्यक्रम चलाने में पहल करे। अपने काम में वह अवश्य ही वहां के अध्यापकों को संयुक्त करेगा और उस विद्यालय को अपने प्रायोगिक विद्यालय के रूप में नमूने के तौर पर दूसरों अध्यापकों की प्रेरणार्थ प्रस्तुत करेगा। यदि परिवीक्षक शाब्दिक आडम्बर छोड़कर, अध्यापकों के लिए सफल क्रियान्वयन का एक नमूना दे सके तो उससे वह स्वयं अन्तर्दृष्टि–सम्पन्न बनेगा और अपने क्षेत्र में वह प्रभावशाली उत्प्रेरण भी कर सकेगा। परिवीक्षक अपने लिए ऐसा एक विद्यालय प्रति वर्ष प्रति दो वर्ष के लिए चुन सकता है।

साथ ही, उसे पांच या छह चुने हुए विद्यालयों कों सघन निर्देशन और सहायता देनी चाहिए। प्रति वर्ष उसे अपनी निर्देशन-सूची में पांच नये विद्यालय जोड़ते जाना चाहिए। यद्रि इस पद्धति पर वह निष्ठापूर्वक काम करता चले तो कुछ ही वर्ष में उसके सत्प्रयास अच्छा परिणाम देने लगेंगे।

(viii) शैक्षिक अपव्यय घटाने के लिए, राज्य शिक्षा संस्थान तथा प्राथमिक शिक्षा–प्रसार केन्द्र द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों से, परिवीक्षक को निकटतम सम्बन्ध रखना चाहिए। वहां से वह सम्बद्ध साहित्य प्राप्त कर सकता है; उसे स्वयं अध्ययन करके अपने विद्यालयों में प्रसारित कर सकता है; अध्यापकों की बैठकें करके उन्हें अन्यत्र हो रहे उल्लेखनीय कार्यक्रमों का परिचय भी दे सकता है।

(ix) विकास-खण्ड के स्तर पर शैक्षिक अपव्यय निरोधक एक समिति का निर्माण किया जा सकता है जो इस सम्बन्ध में सहायता व निर्देशन दे सके। इस समिति में कुछ प्रबुद्ध प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षा-प्रसार अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्त्ता तथा कोई प्रतष्ठित समुदाय-सदस्य हो सकते हैं। परिवीक्षक उस समिति का संयोजक रहे।

(x) विकास-खण्ड के स्तर पर प्रौढ-शिक्षा या समाज-शिक्षा के केन्द्र चलाए जा सकते हैं जिनमें अभिभावकों को शिक्षा का महत्व इस ढंग से समझाया जा सके कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्यतः पूरी कराने की सद्भावना अपने में पैदा कर सकें। इस कार्यक्रम के लिए परिवीक्षक प्रौढ़ शिक्षण केन्द्रों तथा चयित अध्यापकों की सहायता ले सकता है।

(xi) राज्य शिक्षा संस्थान तथा प्राथमिक शिक्षा–प्रसार केन्द्रों की सहायता लेकर परिवीक्षक अपने क्षेत्र के अध्यापकों के लिए भाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान शिक्षण के अभिनवन–कार्यक्रम आयोजित कर सकता हैं। इन कार्यक्रमों में विद्यालय-सुधार पर चर्चा हो सकती है और उनके अध्यापकों की क्षमताओं में वृद्धि की जा सकती है। उसका असर क्षरण तथा अवरोधन की दर को घटाने के कार्यक्रमों पर भी पड़ेगा।

(xii) जब कभी भी राज्य शिक्षा संस्थान शिक्षकों के लिए कोई सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करे, परिवीक्षक को चाहिए कि वह उपयुक्त शिक्षकों को उसमें भेजे और उनकी दक्षता का अधिकाधिक लाभ उठाए।

(xiii) विद्यालय-सुधार के कार्यक्रमों में अध्यापकों के साथ-साथ परिवीक्षक स्थानीय समुदाय का सहयोग भी ले सकता है। अध्यापक-अभिभावक संगठन का निर्माण, अभिभावकों द्वारा नकद या वस्तु रूप में दान आदि इस दृष्टि से उपादेय हो सकेंगे और उस दान की सहायता से मध्यान्ह भोजन, निश्शुल्क पठन-सामग्री, भवन-सुधार आदि काम किए जा सकते हैं।

(xiv) प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय की उपयुक्त व्यवस्था कायम करने के प्रयास भी परिवीक्षक कर सकता है। इन पुस्तकालयों में बालोपयोगी साहित्य सुलभ कराना चाहिए। अध्यापकों को इस दृष्टि से सम्पन्न किया जाए कि वे बच्चों को पठन-योग्य साहित्य पढ़ने के लिए उत्प्रेरित करें बल्कि उन्हें निर्देश भी दें। यदि किसी विद्यालय में पुस्तकें कम हैं या नहीं हैं तो परिवीक्षक को ऐसे प्रयत्न और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि विद्यालय परस्पर पुस्तकों का आदान-प्रदान कर सकें। बच्चों में पठन की आदत बनाना और पठनाभिरुचि विकसित करना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि, जो बच्चे पठनगत योग्यता प्राप्त नहीं कर पाते वे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और अन्ततः पढ़ना छोड़ देते हैं। बच्चों के साथ-साथ अध्यापकों की आदतें सुधारने के भी कुछ प्रयत्न होने चाहिए।

(xv) परिवीक्षक को चाहिए कि जब कभी भी विद्यालय-सुधार के राज्य स्तरीय या राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम या प्रशिक्षण आयोजित हों तो वह उनमें निष्ठापूर्वक भाग ले और अपने को नवीनतम गति-विधियों से सुपरिचित रखे।

(xvi) विद्यालयीय कार्यक्रम को बच्चे के व्यावहारिक जगत से और उसकी आवश्यकताओं से सुसम्बद्ध होना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब कार्यानुभव को शिक्षण का सहज तत्व बनाया जाएगा। कार्यानुभव से संयुक्त होने पर बच्चे की शिक्षा अर्थपूर्ण और क्रियात्मक हो जाएगी, और वह तथा उसके अभिभावक भी किसी हद तक विद्यालय में रुचि ले सकेंगे। कार्यानुभव के समावेश के लिए परिवीक्षक को सम्बद्ध साहित्य का अवलोकन करना चाहिए। कार्यानुभव अपव्यय घटाने में एक महत्वपूर्ण सहायक घटक हो सकता है।

(ङ) क्रियात्मक-कार्यक्रम का मूल्यांकन—

विद्यालयों से सूचनाएँ प्राप्त करने, अपव्यय के कारणों का पता लगाने, कार्य-योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने के बाद अनिवार्यतः यह भी जाँचना होगा कि उन प्रयत्नों से शैक्षिक अपव्यय कुछ घटा भी है या नहीं। अतः क्रियात्मक कार्यक्रम का मूल्यांकन उसके परिणामों के सन्दर्भ में करना चाहिए।

यह काम कुछ कठिन भी होगा। सत्रांत में अध्यापकों से फिर कहना होगा कि वे प्रपत्र क फिर से भरें। परिवीक्षक उस प्रपत्र के आँकड़ों को फिर से प्रारूप १, २ व ३ में भरे। उन प्रारूपों की सहायता से वह क्षरण, अवरोधन तथा अपव्यय की पुनः गणना करे; औसत निकाले और पहले प्राप्त अपव्यय-दर की नई दर से तुलना करके पता लगाए कि किस विद्यालय ने संतोष-जनक प्रगति दिखाई है।

इस मूल्यांकन से सभी बातें स्पष्टतः उभर आएँ, ऐसा नहीं होगा। उदाहरण के लिए, किस कार्यक्रम का अपव्यय-दर घटाने पर क्या और कितना प्रभाव पड़ा है, यह बात इस मूल्यांकन से स्पष्ट नहीं होगी। उसके लिए पृथक से पर्यवेक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार आदि का सहारा लेना पड़ेगा। परिवीक्षक तथा अध्यापकों के अनुभव भी इस सम्बन्ध में उपयोगी हो सकेंगे।

प्रपत्र क

कक्षावार वार्षिक आंकड़े सन् 19.....

विवरण/कक्षा	पहली कक्षा			दूसरी कक्षा			तीसरी कक्षा			चौथी कक्षा			पांचवीं कक्षा			वृहत् योग
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र छात्रा वृहत् योग
(अ) निम्नलिखित श्रेणी के अनुसार शाला के प्रारम्भ में विद्यार्थियों की उपस्थिति पंजिका के अनुसार संख्या																
(१) शाला में गत कक्षा से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या (कक्षा पहली के लिए यह संख्या तभी होगी जब कि मान्यता प्राप्त पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विभाग प्राथमिक शाला से सम्बद्ध हो)																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
(2) कक्षा में प्रथम बार भर्ती होने वाले																
(3) गत वर्षों से अनुत्तीर्ण होने वाले																
योग (1)+2+3																
(आ) वर्ष के अन्त में उपस्थिति पंजिका के अनुसार संख्या																
(इ) बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की कुल संख्या (अ–आ)																
(ई) वार्षिक परीक्षा पास करने वालों की कुल संख्या																
(उ) फैल होने वालों की कुल संख्या (आ–ई)																

प्रारूप – 1

पंचायत समिति में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर क्षरण की प्रतिशत दर ।

पंचायत समिति का नाम.....शिक्षा प्रसार अधिकारी का नाम.....

जिला.....राज्य.....

पंचायत समिति में विद्यालयों की संख्या.....लड़कों के स्कूल.....कन्याओं के स्कूल.....योग

नोट :–पंचायत समिति के समस्त विद्यालयों के तुलना में जिस विद्यालय में वर्ष के मध्य शाला छोड़ देने वाले छात्रों की प्रतिशत दर अधिक हो तो कृपया उनके आगे विशेष के कालम में (×) का चिन्ह अंकित कीजिये ।

परिशिष्ट – 1

शीट संख्या.....

शिक्षा सत्र.....

संक्षिप्त रूप

आ = आरम्भ में उपस्थित छात्रों की संख्या

अ = सत्र के अन्त में छात्रों की संख्या

क्ष = (आ - अ) = क्षरण

क्षप्र = क्षरण की प्रतिशत दर : $\frac{\text{क्ष}}{\text{आ}} \times \frac{100}{1}$

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	कक्षा 1				कक्षा 2				कक्षा 3				कक्षा 4				कक्षा 5				योग				विशेष
		आ	अ	क्ष	क्षप्र	आ	अ	क्ष	क्षप्र	आ	अ	क्ष	क्षप्र	आ	अ	क्ष	क्षप्र	आ	अ	क्ष	क्षप्र	आ	अ	क्ष	क्षप्र	
1.																										
2.																										
3.																										
4.																										
5.																										
6.																										
7.																										
8.																										
9.																										
10.																										
11.																										
12.																										
13.																										
14.																										
15.																										
16.																										
17.																										
18.																										
19.																										
20.																										

कुल योग

क्षरण की प्रतिशत औसत दर = क्षरण प्रतिशत का कुल योग / विद्यालयों की संख्या

प्रारूप – 2

पंचायत समिति में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अपव्यय की प्रतिशत दर

पंचायत समिति का नाम.....शिक्षा प्रसार अधिकारी का नाम .....

जिला ....राज्य.....

विद्यालयों की संख्या.....छात्रों की.....छात्राओं की.....कुल योग

नोट :-पंचायत समिति के समस्त विद्यालयों की तुलना में जिस विद्यालय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशत दर अधिक हो तो कृपया उनके आगे विशेष के कालम में (×) का चिन्ह अंकित कीजिये ।

परिशिष्ट – 2

शीट.....

शैक्षिक सत्र.....
संक्षिप्त रूप

अ = सत्र के अन्त में छात्रों की संख्या
उ = कुल उत्तीर्ण छात्रों का संख्या
अनु = कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या
(अ – उ)
अवप्र = अनुत्तीर्ण या अवरोधन की प्रतिशत दर

$$\frac{\text{अनु}}{\text{अ}} \times \frac{100}{1}$$

क्रय संख्या	विद्यालयों के नाम	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कक्षा 5	योग	विशेष
		अ.उ.अनु.अवप्र	अ.उ.अनु.अवप्र	अ.उ.अनु.अवप्र	अ.उ.अनु.अवप्र	अ.उ.अनु.अवप्र	अ.उ.अनु.अवप्र	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
कुल योग								

फैल होने वाले अथवा अवरोधन की प्रतिशत औसत दर = अवरोधन प्रतिशत का कुल योग / विद्यालयों की संख्या।

प्रारूप – 3

पंचायत समिति में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अपव्यय की प्रतिशत दर

पंचायत समिति का नाम.....शिक्षा प्रसार अधिकारी का नाम.....

जिला..... राज्य.....

विद्यालयों की संख्या .....छात्रों की.....छात्राओं की..... कुल योग

नोट :–पंचायत समिति के समस्त विद्यालयों की तुलना में जिस विद्यालय में शैक्षिक अपव्यय की प्रतिशत दर अधिक हो तो कृपया उनके आगे विशेष कालम में (×) चिन्ह अंकित कीजिये ।

परिशिष्ट – 3

शीट संख्या..... .....

शिक्षा सत्र..... .....

संक्षिप्त रूप

आ. : आरम्भ में उपस्थित छात्रों की संख्या

उ : कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या

अपव्यप्र : शैक्षिक अपव्यय की प्रतिशत दर

$$= \frac{\text{आ} - \text{उ}}{\text{आ}} \times \frac{100}{1}$$

क्रम संख्या	विद्यालयों का नाम	कक्षा 1		कक्षा 2		कक्षा 3		कक्षा 4		कक्षा 5		योग		विशेष
		आ	अपव्यय प्र	आ	अपव्यय प्र	आ	अपव्यय प्र	आ	अपव्यय प्र	आ	अपव्यय प्र	आ	अपव्यय प्र	
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
कुल योग														

शैक्षिक अपव्यय की प्रतिशत औसत दर = अपव्यय प्रतिशत का कुल योग / विद्यालयों की संख्या

भारतीय विद्यालयों में शैक्षिक अपव्यय से सम्बद्ध संदर्भ पुस्तक सूची

Asian Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi. **Wastage and Stagnation in School Education, a pilot study.** New Delhi, 1965, 44 p. processed.

Bhanot, I.V. **Wastage and Stagnation in the Faculty of Medicine, and of Technology of the M.S. University of Baroda,** Baroda, M.S. University of Baroda Press. 1961. 55 p.

Bombay. Directorate of Education, Research Unit. "Wastage and Stagnation in Primary Schools and Summary of Report". In : **Indian Journal of Educational Administration and Research.** (Autumn 1960) pp. 8-14.

Municipal Corporation. Research Unit. (Education). **Report on the Study (1950-1958) of the Incidence of Wastage and Stagnation in Municipal Schools and the Effectiveness of our Educational Efforts. Final Report.** Bombay, 17 p. processed.

Bombay provincial Board of Primary Education. **Report on Stagnation and Wastage in Primary Schools.** Bombay, Government Printing and Stationary. 1941. 38 p.

Chickermane, D.V. "Influence of Home Circumstances on Wastage in Primary Education". : **Education and Psychology Review.** Vol. 2 (July 1962). pp. 135-139.

Chickermane, D. V. "A Study of Wastage in Primary Education in India." **Education and Psychology Review.** Vol. 2 (Junuary 1962) pp. 19-23.

Chitkara, R.S. **Wastage and Retardation in Education.** New Delhi, Ministry of Education, 1961. 9 p. (Government of India Publication No. 533).

Chowdhury, P. Report of an Investigation into the problem of Wastage and Stagnation in Primary Schools in the District of 24-Parganas. Calcutta, Directorate of Education, Government of West Bengal. 1965. 9 p.

Desai, L.R. and Desai, K.G. **An Investigation into the Wastage in Secondary Education in Gujarat,** A.G. Teacher College, Ahmedabad-9, India, 1957.

Deshmukh, A.G. and Kamat, A.K. **Wastage and Stagnation in College Education.** Nasik Road, Govermment of India Press, 1963. 48 p.

Gadgil, D.R. and Dandekar, V.M. **Primary Education in Satara District ; Report of Two Investigations.** Poona, Gokhale Institute of Politics and Economics, 1935. 174 p.

Hyderabad, State Institute of Education. **A Sample Study of Stagnation and Wastage in a Few Urban and Rural Primary Schools.** 1965 11 p. processed.

India, Indian Statutory Commission. **Review of growth of Education in British India by the Auxiliary Committee (The Hortog Committee) appointed by the Commission.** Delhi. The Government of India Press, 1966. 692 p.

Report of the National Committee on Women' Education. Delhi, Government of India Press, 1959. 335 p.

National Council of Educational Research and Training. Department of Educational Administration. **Wastage and Stagnation in Primary and Middle Schools in India : project report.** New Delhi,1966. 179 p. Forms, (Typewritten manuscript).

Madras Teachers' College. Research Bureau. A Study of Stagnation and Wastage in Primary Schools. Madras, 1962. 53 p. processed.

National Institute of Education. (Department of Educational Administration), New Delhi-16, **Wastage and Stagnation in Primary and Middle Schools in India,** NIE-HEW 005 Project Report.

Prakasha, Veda. "Stagnation and Wastage." ; **The Indian Year Book of Education** (2nd year Elementary Education).New Delhi,National Council of Educational Research and Training. 1965. pp. 132–134.

Technical Seminar on Educational Wastage and School Dropouts, Bangkok 5-12, September 1966, **Wastage and Stagnation at the First Level of Education,** by C. L. Sapra. Bangkok Unesco Regional Office for Education in Asia, 1966. 38 p. bibl., processed. (EDWAST/3 : India).

Unesco. Regional Educational Planning in Asia, **Long-term Projections for Education in India.** Bangkok, Unesco Regional Office for Education in Asia, 1965. 171 p.

Ministry of Education and National Council of Educational Research and Training, **National Seminar on Wastage and Stagnation,** Sept. 1968.

Department of Pre-Primary and Primary Education, National Council of Educational Research and Training, **National Conference on Action Programmes for Reducing Wastage and Stagnation,** Jan. 1970.

Rawat, D. S.; Gupta S. L. : **Educational Wastage at the Primary Level** (A Handbook for Teachers), Department of Pre-Primary and Primary Education, NIE, National Council of Educational Research and Training, Sri Aurobindo Marg New Delhi-16, January 1970.

Rawat, D.S. : **Patbanarambh Yogyata Parikshan'**, National Council of Educational Research and Training, Sri Aurobindo Marg. New Delhi -16, 1964.

Teaching Reading-A Challenge', National Council of Educational Research and Training, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-16.

Gupta, S.L. : Ungraded School System' A Draft Blne Print for Teachers Department of Pre-Primary and Primary Education, National Council of Educational Research and Training, New Delhi-16,September, 1970.

Ramji, M.T. and others **'Cumulative Record For Primary Stage' and Manual of Instructions**, Department of Pre-Primary and Primary Education, National Council of Educational Research and Training, New Delhi -16, 1970.

Rawat, D.S. : **'Towards Improving Reading Abilities, Habits and Tastes of Children'**, National Council of Educational Research and Training. Sri Aurobindo Marg, New Delhi-16, August 15, 1970.

"Teen Ghante Ki Prahar Pathshala—Marg Darshika', State Institute of Education, Udaipur, Rajasthan.

'Report of the Committee of Members of Parliament on Education' National Policy of Education, Ministry of Education and Youth Services, Government of India, New Delhi, 1967.

Choudhuri, S.C. : **'Work-Experience as an Integral Part of Education** ; Department of Pre-Primary and Primary Education, National Council of Educational Research and Training, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-16, 1970.

'Karyanuvaw', State Institute of Education, Udaipur, Rajasthan.

NIEPA DC
D00763

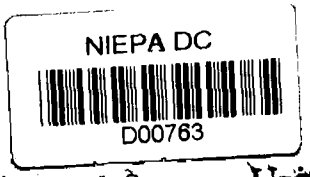

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,SriAurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No........D-763
Date........27.5.83